कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)छ.ग.

// विविध आदेश //

क्रमांक **क–3**/एक–5–1/85, अम्बिकापुर, दिनांक **मार्च, 2025**

मैं, **के0 एल0 चरयाणी**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) वर्ष–2025 हेतु कार्य विभाजन के संबंध में, जारी विविध आदेश क्रमांक– **क–1**/एक–5–1/85, अम्बिकापुर दिनांक– 21 जनवरी 2025 में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ :–

1– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–02 मे **"श्री मनोज कुमार सिह ठाकुर"** के नाम को विलोपित कर उसके स्थान पर **"श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

2– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–03 के कॉलम–4 के सरल क्रमांक– 6 में उल्लेखित **"रू0 10,00,001/– (रूपये दस लाख एक) से रूपयें 20,00,000/– (रूपयें बीस लाख) तक"** को विलोपित कर उसके स्थान पर **"रू0 45,00,001/– (रूपये पैतालिस लाख एक) से रूपयें 50,00,000/– (रूपयें पचास लाख) तक"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

3– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–03 के कॉलम–4 के सरल क्रमांक–11 को विलोपित किया जाता है।

4– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–10 के कॉलम–4 के सरल क्रमांक– 2 में उल्लेखित **"रू0 45,00,001/– (रूपये पैतालिस लाख एक) से रूपयें 50,00,000/– (रूपयें पचास लाख) तक"** को विलोपित कर उसके स्थान पर **"रू0 10,00,001/– (रूपये दस लाख एक) से रूपयें 20,00,000/– (रूपयें बीस लाख) तक"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

5– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–08 मे **"श्री सुमित कपूर"** के नाम को विलोपित कर उसके स्थान पर **"सुश्री स्मिता रत्नावत"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

6– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–12 के कॉलम–4 के सरल क्रमांक– 02 को विलोपित किया जाता है।

7– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–12 के कॉलम–4 के सरल क्रमांक– 7 एवं 8 मे उल्लेखित **"प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर"** को विलोपित किया जाता है।

8– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–13 के कॉलम–3 में उल्लेखित **"सम्पूर्ण सिविल जिला–सरगुजा"** को विलोपित करते हुए **"तहसील–अम्बिकापुर"** प्रतिस्थापित किया जाता है तथा कॉलम–4 के सरल क्रमांक– 02 मे उल्लेखित **"रू0 5,00,001 (रूपयें पॉच लाख एक) से अधिक एवं 7,00,000 (सात लाख) तक"** को विलोपित करते हुए **"रूपयें 5,00,001 (रूपयें पॉच लाख एक) अधिक एवं एवं 10,00,000 (दस लाख) तक"** प्रतिस्थापति किया जाता है एवं कॉलम–4 के सरल क्रमांक– 04 एवं 05 में यथा स्थान उल्लेखित **"तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर"** को विलोपित किया जाता है।

9— कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–14 मे उल्लेखित तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर में **श्री गिरिवर सिंह राजपूत** का नाम जोड़ा जाता है, तथा उक्त कंडिका के कॉलम–4 मे उल्लेखित **"रिक्त न्यायालय"** को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स0क्र0	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना हैं
14	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(श्री गिरिवर सिंह राजपूत)**	तहसील–दरिमा, लुण्ड्रा (धौरपुर) लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर, मैनपाठ एवं बतौली	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण 2. सिविल जिला– सरगुजा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रू0 5,00,001 (रूपयें पॉच लाख एक) से अधिक एवं 10,00,000/– (रूपये आठ लाख) तक के मूल्य का सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन, एवं विविध प्रकरण। 3. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एव उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 4. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियॉ।

10— कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–14 के पश्चात निम्नानुसार 14–ए प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स0क्र0	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना हैं
14–ए	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश **(श्रीमती कल्पना भगत)**	सम्पूर्ण सिविल जिला –सरगुजा	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एव उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियॉ।

11— कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–17 मे उल्लेखित कु0 आकांक्षा सक्सेना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर का न्यायालय रिक्त होने के फलस्वरूप कंडिका–17 के कॉलम–4 मे उल्लेखित सरल कमांक–01 को विलोपित करते हुए उक्त स्थान पर **"रिक्त न्यायालय"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

12– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 के कंडिका–21 मे **"श्री पार्थ तिवारी"** के नाम को विलोपित कर उसके स्थान पर **"कु0 पूजा मण्डावी"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

13– कार्य विभाजन आदेश दिनांक–21 जनवरी 2025 में उल्लेखित नोट– (सिविल एवं आपराधिक) के कंडिका–17 के प्रथम पैरा में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन कमांक–14754/2023, दिनांक–08.11.2023 तथा शुद्धिपत्र कमांक–15250/2023 बिलासपुर, दिनांक–23.11.2023 में दिये गये निर्देशानुसार मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय (एट्रो.)/एन.डी.पी.एस. एक्ट अम्बिकापुर के लिए **प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर,** प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अम्बिकापुर के लिए **द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर,** द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के लिए **पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश,** अम्बिकापुर, पंचम/षष्ठम/सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के लिए **तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर** एवं जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), अम्बिकापुर के लिए **जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) अम्बिकापुर** एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) अम्बिकापुर के लिए **जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के लिए **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर** को लिंक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

22.JAN
1/4/25

(के0 एल0 चरयाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ0ग0

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)छ.ग.

// विविध आदेश //

क्रमांक– क–4 / एक–5–1 / 85, अम्बिकापुर, दिनांक मार्च, 2025

न्यायाधीशों के अवकाश व अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक **सिविल एवं आपराधिक मामलों के कार्य** निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित **लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा :–**

क्र.	न्यायाधीश का पदनाम	अवकाश अथवा अनुपस्थिति अवधि में अधिकृत लिंक न्यायिक अधिकारी
1	2	3
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर)। **(पीठासीन अधिकारी– के0 एल0 चरयाणी)**	**प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश,** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–श्रीमती ममता पटेल)
2	विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट) अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव)**	
3	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी– श्रीमती ममता पटेल)**	**द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश,** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–श्रीमती मोनिका जायसवाल)
4	विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी– श्रीमती ममता पटेल)**	
5	द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, / विषेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती मोनिका जायसवाल)**	**पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश,** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–सुश्री स्मिता रत्नावत)
6	तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश कुमार तिवारी)**	
7	चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री मनीष कुमार दुबे)**	
8	पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–सुश्री स्मिता रत्नावत)**	**तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश,** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश कुमार तिवारी)
9	षष्ठम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री जनक कुमार हिडको)**	
10	सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री महेश कुमार राज)**	
11	जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती चित्रलेखा सोनवानी)**	**सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट)** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–श्री कमलेश जगदल्ला)
12	सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक विषेष न्यायालय (पाक्सो) अम्बिकापुर **(पीठासीन अधिकारी–श्री कमलेश जगदल्ला)**	**जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–श्रीमती चित्रलेखा सोनवानी)

13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री सुमित कुमार हर्षयाना)**	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती बरखा रानी वर्मा)**
14	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती बरखा रानी वर्मा)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री सुमित कुमार हर्षयाना)**
15	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री गिरिवर सिंह राजपूत)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती कल्पना भगत)**
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती कल्पना भगत)**	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री गिरिवर सिंह राजपूत)**
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–कु0 प्रांजली नेताम)**	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री अरिन्दम नेरल)**
18	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री अरिन्दम नेरल)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–कु0 प्रांजली नेताम)**
19	प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, अम्बिकापुर।	प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, अम्बिकापुर एवं उक्त बोर्ड में नियुक्त सदस्यगण के अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर द्वारा किया जावेगा।
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सीतापुर **(पीठासीन अधिकारी–कु0 पूजा मण्डावी)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्रेणी अम्बिकापुर एवं उक्त दोनों की अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर ।

नोट :–01– माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन कमांक–17027/तीन–4–1/2016 (Commercial Court)/Checker बिलासपुर, दिनांक– 21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना कमांक– 14389/3830/21–बी/सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक– 20.12.2023 के आदेशानुसार **सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज, सूरजपुर, रायगढ़, जशपुर, एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर) के सिविल जिले के अंतर्गत कार्यरत वाणिज्यिक न्यायालय के द्वारा पारित आदेश/निर्णय से संबंधित अपीलों की सुनवाई हेतु** अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा रिक्त रहने की दशा में जिला मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के द्वारा उपरोक्त अधिसूचित न्यायालय के अत्यावश्यक आवेदन एवं प्रकरणो की सुनवाई करेगा।

02– माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन कमांक–17027/तीन–4–1/2016(Commercial Court)/Checker बिलासपुर, दिनांक– 21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना कमांक–14391/3830/21–बी/सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक–20.12.2023 के आदेशानुसार सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज एवं सूरजपुर, के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वाणिज्यिक मामलों **(जिसका आर्थिक मूल्य दस लाख से अधिक से पचास लाख तक (मध्यस्थता मामलों को सम्मिलित करते हुए)** हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा रिक्त रहने की दशा में जिला मुख्यालय में उपस्थित सबसे वरिष्ठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के द्वारा उपरोक्त अधिसूचित न्यायालय के अत्यावश्यक आवेदन एवं प्रकरणो की सुनवाई करेगा।

03– मध्यस्थता से संबंधित मामलो की सुनवाई अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय के अतिरिक्त कार्य विभाजन आदेषानुसार अन्य न्यायालय द्वारा भी किया जावेगा।

04– माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन कमांक–17027/तीन–4–1/2016 (Commercial Court) /Checker बिलासपुर, दिनांक– 21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना कमांक–14391/3830/21–बी/सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक–20.12.2023 के आदेशानुसार सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज,

सूरजपुर एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वाणिज्यिक मामलों **(जिसका आर्थिक मूल्य तीन लाख से दस लाख तक (मध्यस्थता मामलों को छोड़कर)** हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा रिक्त रहने की दशा में जिला मुख्यालय में उपस्थित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के द्वारा उपरोक्त अधिसूचित न्यायालय के अत्यावश्यक आवेदन एवं प्रकरणो की सुनवाई करेगा।

05–माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन कमांक–14754 / /2023, दिनांक–08.11.2023 तथा शुद्विपत्र कमांक–15250 / 2023 बिलासपुर, दिनांक–23.11.2023 में दिये गये निर्देशानुसार इस जिला स्थापना अम्बिकापुर के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के अवकाश दिवस में उपरोक्त नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के द्वारा अवकाश में गये या अनुपस्थित न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट के न्यायालय के न सिर्फ अत्यावश्यक मामलो की सुनवाई करेगें बल्कि यदि संभव हो तो ऐसे प्रकरणों, जिसमें साक्षी अपने साक्ष्य दर्ज कराने हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए हो उक्त साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जायेगा। यदि साक्षी का साक्ष्य दर्ज कर पाना संभवन न हो तो ऐसी स्थिति में लिंक न्यायिक अधिकारी उक्त प्रकरण में उपस्थित साक्षियों को संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश से लौटने के दिनांक से आगामी 03 दिवस के भीतर की तारीख वे पुनः उपस्थित होने के लिए पाबंद करेगें (शासकीय गवाह को छोड़कर) या लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा अवकाश मे गये पीठासीन अधिकारी के न्यायालय के ज्यूडिशियल डायरी को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में आगामी तिथि देना सुनिश्चित किया जायेगा तथा न्यायालय के प्रस्तुतकार के द्वारा आगामी तिथि नही दी जावेगी। जो प्रकरण जिस कार्यवाही के लिए नियत है उसी कार्यवाही के लिए ही लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा आगामी तारीख के लिए नियत किया जायेगा। यह आदेश सिविल एवं दांडिक दोनों प्रकरणों के लिए लागू होगा।

06– मुख्यालय स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय/जिला एवं अति0 सत्र न्यायालयों के लिए नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के अवकाश अथवा अनुपस्थित की स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा लिंक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया जावेगा।

इसी प्रकार मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालयों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के अवकाश अथवा अनुपस्थित की स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट, के द्वारा लिंक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया जावेगा।

1.4.25

(के0 एल0 चरयाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ0ग0